कार्यालय

नगर पंचायत शाही

जनपद – बरेली

पत्रांक......के.म.......   दिनांक 26-04-2016

अल्पकालीन निविदा सूचना

समस्त आई. टी./जी0आई0एस0 फर्मो को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत शाही (बरेली) भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अपने टाउन को डिजिटल कराने हेतु जीआई.एस.का कार्य कराना चांहती है।इस हेतु मुहरबन्द निविदायें दिनांक 03-05-2016 को 12:00 बजे अपरान्ह तक आमंत्रित करती हैं। निविदाऐं दिनांक 04-05-16 को श्रीमान अपर जिलाधिकारी बरेली के कार्यालय में अपरांह 02:00 बजे खोली जायेगी। सबसे कम निविदा डालने वाली फर्म को कार्य आदेश जारी किया जायेगा। निविदा प्रपत्र कार्यालय अवधि में नगर पंचायत शाही (बरेली) से दिनांक 03-05-16 को अपरान्ह 12 बजे तक निर्धारित मूल्य जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। जी0आई0एस0 (भौगोलिक सूचना प्रणाली) सम्पूर्ण अभिलेखों का डेटा इन्ट्री, मैनुयल सर्वे तथा रिकार्ड तैयार कर आवश्यक कार्य करना होगा जिसकी आगणन धनराशि 3,20,000.प्रति कि0मी0(अनुमानित दूरी 6.52कि0मी0) धरोहर राशि 2 प्रतिशत,निविदा प्रपत्र शुल्क1500.00 रूपये है।

<u>निविदा के लिए नियम व शर्ते इस प्रकार रहेगें–</u> (1) निविदा दाता को उक्त कार्य हेतु प्रति कि0मी0 की दर से धनराशि का विवरण समस्त टैक्स सहित अलग–अलग देना होगा। (2) फर्म किसी भी राज्य के सरकारी विभाग की काली सूची में नही होनी चाहिये। (3) निबिदा फार्म के साथ पेन नम्बर, आयकर, व्याापारकर, वैध्य होना अनिवार्य है। (4) फर्म स्वामी को समस्त प्रमाण–पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना है। (5) फर्म स्वामी को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त धरोहर राशि के लिये एफ0डी0आर0 एन0एस0सी0 के बी0 पी0 एवं नकद अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक करनी होगी। (6) निविदा की धनराशि स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। अस्पष्ट लिपि में लिखी गई निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। (7) किसी फर्म अथवा संस्था द्वारा प्रेषित निविदा देने की दशा में निविदा में फर्म या संस्था के अधिकृत सदस्य के हस्ताक्षर होने आवश्यक होगें। (8) निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदा दाता को 100 रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध देना होगा। यदि निविदा दाता कार्य बीच में छोड़ता है तो उसकी धरोहर राशि व किये कार्य की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। (9) निर्धारित समय के पश्चात किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। (10) टेन्डर को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।(11)उक्त निविदाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में देखी जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत शाही
जनपद– बरेली

अध्यक्ष
नगर पंचायत शाही
जनपद– बरेली

प्रतिलिपिः–

1– श्रीमान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बरेली की सेवा में सादर प्रेषित।
2– कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3– NIC कार्यालय बरेली की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4– सम्पादक दैनिक समाचार पत्र जनमोर्चा / दैनिक दिव्य प्रकाश .... को विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत शाही
जनपद– बरेली

2/5/16

अध्यक्ष
नगर पंचायत शाही
जनपद– बरेली